याचिका | हाईकोर्ट ने कहा-लोगों का जागरूक होना भी आवश्यक

सिर्फ जुर्माने से नहीं रुक सकता डीजे की तेज आवाज से मौत का सिलसिला

जबलपुर। ध्वनि प्रदूषण के कारण बढ़ती बीमारियों तथा डीजे के तेज आवाज से लोगों को हार्ट अटैक आने तथा ब्लड प्रेशर बढ़ने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि डीजे की तेज आवाज के कारण हाई अटैक से कई मौत भी हुई हैं। सरकार की तरफ से पेश जवाब में कहा गया कि डीजे की तेज आवाज से लोग के स्वास्थ पर विपरीत असर पडता है। सरकार के द्वारा निर्धारित से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए इसे गंभीर समस्या मानते हुए इसके लिए लोग को जागरूक होने की बात की।

नाना देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति गोविंद प्रसाद मिश्रा उम्र 83 साल, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आर पी श्रीवास्तव उम्र 100 सहित अन्य चार की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि शादियों व धार्मिक आयोजन के दौरान बहुत तेज आवाज में डीजे बजाये जाते है। मानव शरीर 75 डेसिबल आवाज की तीव्रता सहन कर सकता है। इससे अधिक आवाज ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आते है। डीजे की तीव्रता 100 डेसिबल से अधिक होती है। जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पडता है। डीजे की तेज आवाज के कारण लोगों को हार्ट अटैक आते या उनका ब्लड प्रेशर बढ जाता है। इसके अलावा तेज आवाज के कारण लोग बहरे हो रहे है। तेज आवाज में डीजे से बचने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पडता है। याचिका में शहर की मॉडल रोड में अवैध पार्किंग का मामला भी उठाया गया था। याचिका में कहा गया था कि इस सड़क का नामकरण इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि यह शहर की आदर्श रोड बने। इसके विपरीत सडक टैक्सी व ऑटो के लिए अवैध पार्किंग स्थल बन गया है।

सरकार की तरफ से पेश जवाब में इसे समस्या मानते हुए बताया गया कि तेज आवाज में डीजे बचाने पर कोलाहल एक्ट के तहत जुर्माना कार्यवाही की गयी है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए युगलपीठ को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी ध्वनि प्रदूषण को गंभीर समस्या माना है। जिसका विपरीत असर मानव जीवन पर पड रहा है और वह बीमारियों का शिकार हो रहे है। डीजे की तेज आवाज के कारण हार्ट अटैक आने के कारण कई व्यक्ति की मौत भी हुई है। सिर्फ जुर्माने की कार्यवाही से इसे नहीं रोका जा सकता है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त टिप्पणी करते हुए अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की है।

नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामला : हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति देने से किया इंकार

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा संबंधित याचिका करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनस सराफ की युगलपीठ ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जेएनएम प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने अनुमति देने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित नहीं किया गया है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद एमपी नर्सिंग काउंसिल को विस्तृत जानकारी हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश जारी किये है। गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में संचालित अधिकांश नर्सिंग कॉलेज मानदंडों की पूर्ति किये बिना सिर्फ कागजों में संचालित हो रहे है। अधिकांश नर्सिंग कॉलेज के भवन तक नहीं है। एक कमरों में संचालित कॉलेज में लैब, लाइब्रेरी से संचालित हो रहे हैं। निर्धारित मापदंड की पूर्ति नहीं करने वाले कॉलेज को मान्यता प्रदान की गयी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने सूटेबल,अनसूटेबल तथा आंशिक कमी वाले कॉलेज की सूची हाईकोर्ट में पेश की थी।

याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किये थे। याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एमपी नर्सिंग काउंसिल की तरफ से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जेएनएम प्रथम वर्ष के लगभग 30 हजार छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने अनुमति प्रदान करने हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित नहीं किया गया है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पैरवी की।

70 बसों की जांच में निकली सुरक्षा खामियां

आरटीओ ने दिए सुधार के निर्देश, नोटिस की तैयारी

नवभारत,जबलपुर। शहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने बड़ा अभियान चलाते हुए विभिन्न स्कूलों की बसों की सघन जांच की। अभियान के तहत एमएम इंटरनेशनल, ज्ञान गंगा ऑर्चिड स्कूल और लिटिल वर्ल्ड स्कूल की करीब 60 से 70 बसों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान बसों में इमरजेंसी गेट, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों जैसी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से पड़ताल की गई ।उड़नदस्ता प्रभारी राजेंद्र साहू ने बताया कि कई बसों में सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गईं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्कूल प्रबंधन को जल्द सुधार के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सख्त चेतावनी भी जारी की गई है और लिखित नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

कार्यवाही में ये रहे मौजूद

इस कार्रवाई में आरटीओ रिंकू शर्मा, उड़नदस्ता प्रभारी राजेंद्र साहू, उप निरीक्षक अक्षय पटेल, परिवहन आरक्षक आशुतोष मोघे, निमिषा तिवारी, उमाशंकर उपाध्याय, वंदना परतेती, पीयूष मंडावी, सारंग धर महाले, सत्यनारायण भांगरे, धीरज खरे, धर्मेंद्र तोमर, सरबजीत सिंह और शंकर झारिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

नाबालिग छात्रों के वाहन चलाने पर प्रतिबंध

प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्राइवेट वैन और एलपीजी वाहनों में स्कूली बच्चों का परिवहन न किया जाए। इसके अलावा नाबालिग छात्रों को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

दिलीप कुमार सिंह बने पमरे के नए महाप्रबंधक

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेल के नए महाप्रबंधक के रूप में इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर वर्ष-1990 बैच के वरिष्ठ अधिकारी दिलीप कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। वे भारतीय रेल के एक अनुभवी एवं कुशल अधिकारी हैं, जिन्हें सिग्नल, दूरसंचार, संरक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों में तीन दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है। श्री सिंह इससे पूर्व रेलवे बोर्ड में प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजिलेंस के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने रेलवे में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री सिंह ने आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। अपने सेवा काल में उन्होंने भारतीय रेल के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए सिग्नल एवं दूरसंचार के क्षेत्र में व्यापक अनुभव अर्जित किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत

उत्तरी रेलवे के फिरोजपुर मंडल में असिस्टेंट सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के रूप में की। इसके पश्चात वे इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेलीकॉम, रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं तथा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।

मुख्यालय स्तर पर किया है काम

जानकारी के अनुसार श्री सिंह ने उत्तर मध्य रेलवे एवं पूर्व मध्य रेलवे में निर्माण, आईआरपीएमयू, मंडल एवं मुख्यालय स्तर पर कार्य किया है। वे रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लखनऊ क्षेत्र के महाप्रबंधक के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं।वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उन्होंने अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक आगरा, मुख्य संचार इंजीनियर उत्तर मध्य रेलवे, कार्यकारी निदेशक (टेलीकॉम) आरडीएसओ तथा मंडल रेल प्रबंधक अलीपुरद्वार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इसके पश्चात उच्च प्रशासनिक ग्रेड में वे एसडीजीएम उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के पद पर रहे। सिग्नल एवं दूरसंचार के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले श्री सिंह ने आधुनिक सिग्नलिंग एवं दूरसंचार प्रणालियों के विकास एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल के रूप में उनकी प्राथमिकताओं में रेल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, परिचालन दक्षता एवं समयपालन में सुधार, अधोसंरचना विकास (नई लाइन, दोहरीकरण तिहरीकरण, विद्युतीकरण आदि) को गति देना, यात्री सुविधाओं का विस्तार तथा प्रशासनिक पारदर्शिता को सुदृढ़ करना शामिल है।

गेट पास के नाम पर जिला अस्पताल में हो रही अवैध वसूली

नवभारत,जबलपुर। जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के परिजनों से गेट पास के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर आखिरकार प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। बताया गया कि मेसर्स मोहम्मद फारूख़ अहमद के माध्यम से संचालित इस व्यवस्था में प्रति व्यक्ति 5 रुपये वसूले जा रहे थे।

इस संबंध में मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थीं, जो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी प्राप्त हुईं। इन शिकायतों के चलते अस्पताल की व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जबलपुर के अन्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों मेडिकल कॉलेज एवं रानी दुर्गावती चिकित्सालय (लेडी एल्गिन) में इस प्रकार की कोई व्यवस्था लागू नहीं है, जिससे इस प्रणाली की आवश्यकता पर सवाल उठे। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. नवीन कोठारी ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुबंध वृद्धि नहीं की गई है। साथ ही आगामी टेंडर प्रक्रिया तक गेट पास व्यवस्था पूरी तरह समाप्त रहेगी। प्रशासन ने ठेकेदार को निर्देश दिए हैं कि वह आर.के.एस. शाखा से सभी लंबित देयकों का भुगतान कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करे।

जबलपुर-रायपुर एक्सप्रेस में स्थाई तौर 2 कोचों की वृद्धि

जबलपुर। रेलवे द्वारा यात्री सुविधा एवं मांग को देखते हुए स्थाई अस्थाई तौर पर अतिरिक्त कोच लगाए जाते है। इसी कड़ी में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे से प्रारम्भ टर्मिनेट होने वाली जबलपुर-रायपुर-जबलपुर मूकमाटी एक्सप्रेस में 01 सेकंड एसी एवं 01 स्लीपर सहित 02 अतिरिक्त कोच स्थाई तौर पर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन गाड़ियों में स्थाई कोच संयोजन निम्न तिथि से प्रभावी रहेगा। गाड़ी संख्या 11702 जबलपुर-रायपुर एक्सप्रेस में एक सेकण्ड एसी एवं एक स्लीपर का कोच 13 अप्रैल से प्रभावी रहेगा। वही गाड़ी संख्या 11701 रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस में एक सेकण्ड एसी एवं एक स्लीपर का कोच 13 अप्रैल से प्रभावी रहेगा। अब उक्त दोनों ट्रेनों में निर्धारित तिथि से 1 सेकण्ड एसी, 1 थर्ड एसी, 1 एसी चेयरकार, 1 स्लीपर, 4 द्वितीय चेयरकार, 8 जनरल कोच एवं 1 जनरेटरकार, 1 एसएलआरडी सहित कुल 18 कोच होंगें।

पांचवी और आठवीं के मूल्यांकन की राशि जारी

नवभारत, जबलपुर। सत्र 2024-25 की पांचवी एवं आठवीं कक्षाओं के मूल्यांकन की समस्त राशि जारी कर दी गई है। योगेश शर्मा (डीपीसी) ने जानकारी देते हुए बताया कि यह राशि मूल्यांकनकर्ताओं के खातों में भी पहुंच चुकी है। साथ ही, सत्र 2025-26 में हाल ही में संपन्न परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य की राशि भी जारी कर दी गई है। जबलपुर ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां के मूल्यांकनकर्ताओं के खातों में भी भुगतान कर दिया गया है। अन्य विकासखंडों से जानकारी प्राप्त होते ही शेष मूल्यांकनकर्ताओं के खातों में भी जल्द ही राशि जारी कर दी जाएगी।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57